| क्रम सं॰ | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम | निहित भूमि और कब्जे में ली गई भूमि | व्यक्तिगत लाभार्थियों में वितरण | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 9. | केरल | 95984 | 64765 | 67.47 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 306150 | 185624 | 60.63 |
| 11. | महाराष्ट्र | 666190 | 556532 | 83.54 |
| 12. | मणिपुर | 1685 | 1682 | 99.82 |
| 13. | उड़ीसा | 166150 | 155193 | 03.41 |
| 14. | पंजाब | 105181 | 103545 | 98.44 |
| 15. | राजस्थान | 567010 | 458734 | 80.90 |
| 16. | तमिलनाडु | 171114 | 165922 | 96.96 |
| 17. | त्रिपुरा | 1944 | 1599 | 82.25 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 537112 | 400843 | 74.63 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 1261859 | 1023663 | 81.14 |
| 20. | दादर व नगर हवेली | 9305 | 6851 | 73.63 |
| 21. | दिल्ली | 394 | 394 | 100.00 |
| 22. | पांडिचेरी | 1160 | 1023 | 88.10 |
| | कुल: | 6624992 | 5285501 | 79.78 |

**परिधान क्षेत्र का आधुनिकीकरण**

916. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परिधान क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा उसके आधुनिकीकरण हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में क्या बजटीय प्रावधान किए गए हैं; और

(घ) क्या परिधान क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है?

**वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा):** (क) से (घ) सरकार ने प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना को शुरू करने का अनुमोदन किया है जिसके अंतर्गत पात्र वस्त्र और पटसन एककों को ब्याज की लागू दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों/बैंकों से पात्र एककों को 5% का ब्याज प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत परिधान क्षेत्र को भी शामिल किया गया है तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) परिधान क्षेत्र को ऋण दात्री नोडिए एजेंसी होगी। यह योजना 1.4.1999 से शुरू की जाएगी।

इसके अतिरिक्त सरकार निर्यातोंन्मुख परिधान क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए निरंतर कदम उठा रही है जैसे कि क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल का आयात करने का अधिकार देना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के विशेष प्रबंध करना, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना, मानव संसाधन विकास तथा समूचे देश में परीक्षण सुविधाएं स्थापित करना आदि।

**Bar by EC on Indian textiles exports**

917. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that European Commission has barred exports of garments and trousers from India worth hundreds of crores, for no serious reason; and